

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य संबंधी लाभार्थी का कार्ड (मुख पृष्ठ)

भाग-अ (ग्राम पंचायत द्वारा भरा जावे)

ग्राम ग्राम पंचायत पंचायत समिति का नाम एवं फोन नं. जिला

लाभार्थी का नाम पिता/पति का नाम वर्ग (एस.सी./एस.टी./बी.पी.एल./सीमान्त/लघु कृषक)।

कार्य का नाम एवं यूनिक कोड नम्बर

कार्य की वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक सृजित होने वाले कुल मानव दिवस

स्वीकृत राशि:- श्रम रु. सामग्री (1) लाभार्थी द्वारा रु. (2) ग्रा.प. द्वारा रु. कुल सामग्री रु. कुल रु.

वांछित सामग्री का विवरण:-

क्र.सं.	सामग्री का नाम	इकाई	सामग्री की मात्रा	कुल राशि
1	2	3	4	5
1.	लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली सामग्री का विवरण			
2.				
3.				
4.				
	ग्रा.पं. द्वारा दी जाने वाली सामग्री का विवरण			
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

दिनांकित हस्ताक्षर
सचिव, ग्राम पंचायत

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य संबंधी लाभार्थी का कार्ड (कार्ड के पीछे का भाग)

भाग -ब कार्य प्रगति विवरण (लाभार्थी द्वारा भरा जाकर संधारित किया जावे)

कार्य प्रारम्भ होने की दिनांक

क्र.सं.	माह	पखवाड़े की अवधि	मस्टररोल का क्रमांक	पखवाड़े में सृजित मानव दिवस	पखवाड़े के दौरान दी गई प्रतिदिन की मजदूरी	शेष मानव दिवस
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

व्यक्तिगत लाभ के कार्य “अपना खेत अपना काम” के तहत अनुमत सामग्री राशि से अधिक राशि के संबंध में लाभार्थी का सहमति-पत्र

श्रीमान् कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा
पंचायत समिति
जिला
राजस्थान ।

विषय: व्यक्तिगत लाभ के कार्य “अपना खेत अपना काम” में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने वाली राशि के बराबर कार्य करवाने अथवा सामग्री उपलब्ध करवाने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य “अपना खेत अपना काम” के तहत ग्राम ग्राम पंचायत में मेरे खेत पर (खसरा नं. रकबा) स्वीकृत होने वाले कार्य जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. है, जिसमें श्रम भाग रु. सामग्री भाग रु. है । सामग्री भाग में निर्धारित सीमा रु. से अधिक की सामग्री मद की राशि रु. के पेटे में अग्रिम रूप से कार्य करवा दूंगा अथवा रु. की सामग्री कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व उपलब्ध करवा दूंगा ।

भवदीय,

स्थान लाभार्थी के दिनांकित हस्ताक्षर
दिनांक लाभार्थी का नाम
पिता/पति का नाम.....
वर्ग (बीपीएल/एससी/एसटी/सीमान्त कृषक/लघु कृषक)
पता:-
लाभार्थी का मोबाईल नं.

**व्यक्तिगत लाभ के कार्य “अपना खेत अपना काम” के तहत नरेगा स्थायी
समिति के प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

श्रीमान् कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा
पंचायत समिति
जिला
राजस्थान ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य “अपना खेत अपना काम” के तहत लाभार्थी श्री/श्रीमती पुत्र/पति
वर्ग (बीपीएल/एससी/सीमान्त कृषक/लघु कृषक) निवासी
ग्राम के खेत पर स्वीकृत कार्य
यूनिक कोड जिसकी अनुमानित लागत राशि रु. है, जिसमें
श्रम भाग रु. सामग्री भाग रु. है। सामग्री भाग में निर्धारित सीमा रु.
से अधिक की सामग्री मद की राशि रु. के पेटे लाभार्थी ने मौके पर निम्न लागत राशि
रु. का कार्य करवा दिया है/निम्न सामग्री उपलब्ध करवा दी है (जो लागू न हो उसे
काट दें) :-

क्र.सं.	करवाये गये कार्य/उपलब्ध करवाई गई सामग्री का विस्तृत विवरण (जो लागू न हो उसे काट दें)	राशि रु.
1.		
2.		
3.		
कुल योग		

अतः शेष कार्य नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृति अनुसार करवाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकित हस्ताक्षर
ग्राम रोजगार
सहायक

दिनांकित
हस्ताक्षर
ग्राम सचिव

दिनांकित हस्ताक्षर
कनिष्ठ तकनीकी
सहायक

दिनांकित
हस्ताक्षर
वार्डपंच

दिनांकित
हस्ताक्षर
सरपंच

प्रतिलिपि:-

1. ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत
2. लाभार्थी श्री/श्रीमती

कनिष्ठ तकनीकी सहायक